रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2009/आश्विन 23, 1931
No. 596] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2009/ASVINA 23, 1931

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 753(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) " भारतीय बीमांकिक सोसाइटी" शब्दों के स्थान पर " भारतीय बीमांकिक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी 2

(यदि कोर ग्रुप में तैनात है तो विशेष भत्ता नीचे सारणी के अनुसार संदेय होगा)

क्रम संख्यांक	उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों की संख्या	प्रति मास विशेष भत्ते की दर (केन्द्रीय कार्यालय कोर ग्रुप)	प्रति मास विशेष भत्ते की दर (क्षेत्रीय कार्यालय कोर ग्रुप)
1	2	3	4
(1)	छह प्रश्न-पत्र	4,000/- रुपए	3,200/- रुपए
(2)	सात प्रश्न-पत्र	5,000/- रुपए	4,000/- रुपए
(3)	आठ प्रश्न-पत्र	9,000/- रुपए	7,200/- रुपए
(4)	नौ प्रश्न-पत्र	10,000/- रुपए	8,000/- रुपए
(5)	दस प्रश्न-पत्र	12,000/- रुपए	9,600/- रुपए
(6)	ग्यारह प्रश्न-पत्र	15,000/- रुपए	12,000/- रुपए
(7)	बारह प्रश्न-पत्र	18,000/- रुपए	14,400/- रुपए
(8)	तेरह प्रश्न-पत्र	21,000/- रुपए	16,800/- रुपए
(9)	चौदह प्रश्न-पत्र	25,000/- रुपए	20,000/- रुपए
(10)	पंद्रह प्रश्न-पत्र	30,000/- रुपए	24,000/- रुपए
(11)	फेलो	50,000/- रुपए	24,000/- रुपए ".

3. उक्त नियम के नियम 3 में,-

(i) उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

" (ग) किसी ऐसे पुष्ट कर्मचारी को जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा विहित प्राधिकार द्वारा यथाप्रमाणित कोर बीमांकण संबंधी कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहा है, तब तक नियम 2 के सारणी 2 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष भत्ता संदत्त किया जाएगा जब तक वह ऐसे प्रमाणित कोर बीमांकण संबंधी कार्यक्षेत्र में कार्य करता रहता है ।

परंतु ऐसे अन्य पुष्ट कर्मचारी को जिन्होंने भारतीय बीमांकिक संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ एक्युअरिज, लंदन की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर नियम 2 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) में उपवर्णित ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की संख्या पर आधारित विशेष भत्ता संदत्त किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (घ) कोर ग्रुप के लिए चयनित कर्मचारी इस आशय का एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे कि वह कोर ग्रुप में अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक निगम में सेवा करेगा/करेगी ।";

4. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

' (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 के विनियम 3 के उपविनियम (1) के अधीन निगम द्वारा " नियुक्त बीमांकक" के रूप में नियुक्त कर्मचारी प्रतिमास पच्चीस हजार रुपए नियत भत्ते का हकदार होगा और इसके अलावा नियम 2 में दी गई सारणी 2 के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर अपनी अर्हता के आधार पर विशेष भत्ते का हकदार होगा ।';

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) नियम 2 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता और नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियत भत्ता उपदान, वेतनवृद्धि, छुट्टी का नकदीकरण और प्रोन्नति पर वेतन के नियतन सहित किसी प्रयोजन के लिए कर्मचारी के मूल वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।" ।

[फा. सं. एस-11012/09/2007-बीमा-III]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम सा.का.नि.संख्यांक 55(अ) तारीख 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 564(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2009

G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2009.
   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002 (herein after referred to as the said rules), in rule 2,-
   (i) for the words "Actuarial Society of India", the words "Institute of Actuaries of India" shall be substituted;
   (ii) for the Table 2, the following Table shall be substituted; namely:-

"TABLE 2

(If posted in the core-group, the special allowance shall be payable as per table below)

Serial Number	Number of papers passed	Rate of Special Allowance Per month (Central Office Core Group)	Rate of Special Allowance Per Month (Zonal Office Core Group)
1	2	3	4
(1)	Six papers	Rs 4,000/-	Rs 3,200/-
(2)	Seven papers	Rs 5,000/-	Rs 4,000/-
(3)	Eight papers	Rs9,000/-	Rs 7,200/-
(4)	Nine papers	Rs 10,000/-	Rs 8,000/-
(5)	Ten papers	Rs 12,000/-	Rs 9,600/-
(6)	Eleven papers	Rs 15,000/-	Rs 12,000/-
(7)	Twelve papers	Rs 18,000/-	Rs 14,400/-
(8)	Thirteen papers	Rs 21,000/-	Rs 16,800/-
(9)	Fourteen papers	Rs 25,000/-	Rs 20,000/-
(10)	Fifteen papers	Rs 30,000/-	Rs 24,000/-
(11)	Fellow	Rs 50,000/-	Rs.24,000/-".

3. In rule 3 of the said rules,-

(i) for sub-rule (c), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(c) A confirmed employee who is working in the core actuarially related areas of work as certified by the authority prescribed by the Chairman of the Life Insurance Corporation shall be paid the special allowances as specified in Table 2 of rule 2 so long as he continues to work in such certified core actuarially related areas of work:

Provided that other confirmed employees who have passed examination of Institute of Actuaries of India or Institute of Actuaries, London shall be paid special allowance depending upon the number of papers passed in such examination set out in column (2) of Table I referred to in rule 2, at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.";

(ii) after sub-rule (c) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(d) The employee selected to the Core Group shall execute a bond to effect that he/she shall serve in the Corporation for at least five years with effect from the date of his/her joining in the Core-Group.";

4. In rule 4 of the said rules,-

(i) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-
'(1) An employee appointed as an "Appointed Actuary" by the Corporation under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2000, shall be entitled, for a fixed allowance of Rs.25,000/- per month and in addition shall also be entitled to Special Allowance, on the basis of his/her qualification, as the rate specified under column (3) of Table 2 given in rule 2.'.

(ii) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Special Allowance referred to in rule 2 and the Fixed Allowance referred to in sub-rule (1)of rule 4 shall not be included basic pay of the employee for any purpose including the Gratuity, increments, encashment of leave and fixation of pay on promotion"."

[F. No. S.- 11012/09/2007-Ins.-III]
TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R.55(E), dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended vide number G.S.R. 564(E), dated the 5th September, 2005.

3738GI/09-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.